तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 140/2013 तोफली देवी V/S देवकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/9/19	पत्रावली पेश हुई। अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3/10/19 को पेश हो। [illegible] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
3/10/19	वकील अपीलार्थी उप.। वकील राजकीय अधिवक्ता उप.। वकील अपीलार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है। अतः पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 31/10/19 को पेश हो। [illegible] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
31/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. ~~भ्रमण~~/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/11/19 को पेश हो। [illegible]	
14/11/19	अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उप.। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अंतिम आवाज ४.०० P.m पर लगवाई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नकल नियमानुसार विधिवत प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील बाबत दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [illegible] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

2011/00009

सेवामें,

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

केम्प कोर्ट, अलवर राज0

140/2013

द्वितीय राजस्व अपील संख्या 63/2011

1 तोफली देवी पुत्री श्री हरबक्श स्त्री श्री मन्नालाल, उम्र 43 साल, मानसिक रूप से विक्षिप्त, जर्ये वाद मित्र मन्नालाल पुत्र श्री हेतराम पति स्वयं, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नांगल चन्देल, तहसील राजगढ जिला अलवर राज0

2 हरबक्श पुत्र श्री नाथू उमम्र 80 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नांगल चन्देल, तहसील राजगढ जिला अलवर राज0

— अपीलान्ट्स

बनाम,

1 देवकरण पुत्र श्री जगदीश उम्र 25 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ जिला अलवर (राज0)

2 नायब तहसीलदार साहब, राजगढ जिला अलवर

— रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), अलवर दिनांक 20—7—11, कि जिसके द्वारा अपीलांटस की अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार साहब राजगढ, दिनांक 23—9—10 जिसके द्वारा इन्तकाल सं.

मन्नालाल

311 वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ जिला अलवर, बेजा तरीक पर खारिज की गई। बमुराद मंसुख फरमाये जाने उक्त हरदो निर्णय तहत अदालत वो इन्तकाल एवं स्वीकार किए जाने अपील अपीलांटस एवं अपीलान्स के हक में इन्तकाल स्वीकार किए जाने हेतु।

श्रीमानजी,

अपील अपीलान्टान निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यह कि अपील हाजा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–7–11 से साधारणतः अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

2 यह कि अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस दो रूपये चस्पा है।

3 यह कि अधि0 न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), अलवर के निर्णय के विरूद्ध अपील हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण किये जाने योग्य है।

4 यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जेरे अपील कतई गलत, खिलाफ कानून एवं सर्वथा मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5 यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हरबक्श, परताबा व कन्हैयालाल तीनों सगे भाई हैं, जिनमें से कन्हैयालाल नाऔलाद फौत हो गया, जिसकी विरासत अपीलांट हरबक्श व परताबा को प्राप्त हुई, तथा कन्हैयालाल को दीगर आराजी हरबक्श व परताबा के नाम दर्ज हो गई

मन्नालाल